न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 125 सन 2022

पंजीयन दिनांक :- 02.09.2022

लोकेन्द्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी घटियावली, तहसील व जिला चितौडगढ, हाल मुकाम मकान नम्बर सी 20/21, प्रतापनगर, उदयपुर

-अपीलांट

विरूद्ध

1. गजेन्द्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत, निवासी घटियावली, तहसील व जिला चितौडगढ हाल मुकाम मकान नम्बर सी 20/21, प्रतापनगर, उदयपुर
2. राजेन्द्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत , निवासी घटियावली, तहसील व जिला चितौडगढ हाल मुकाम मकान नम्बर सी 20/21, प्रतापनगर, उदयपुर
3. महेद्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत , निवासी घटियावली, तहसील व जिला चितौडगढ हाल मुकाम मकान नम्बर सी 20/21, प्रतापनगर, उदयपुर
4. अनिता पुत्री नरेन्द्रसिंह राजपूत, निवासी घटियावली, तहसील व जिला चितौडगढ हाल मुकाम कापरडा हाउस रिषाला रोड पावटा, डी, जोधपुर
5. तहसीलदार चितौडगढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ
प्रकरण संख्या 226/2011 आदेश दिनांक 22.5.2015
एवं संशोधित निर्णय दिनांक 13.5.2016 एवं 24.7.2018

उपस्थित- 1. रमेशचन्द्र दशोरा- अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. शांतिलाल बसेर- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. सोहनलाल जणवा- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4
4. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5

-0-

निर्णय

दिनांक 20.12.2023

प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद पत्र विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-53 के तहत वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम घटियावली की आराजी नम्बर 217, 330, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 2223, 2224, 2225, कुल किता-11 रकबा 7.30 हैक्टेयर एवं ग्राम बडोदिया की आराजी नम्बर 35, 36, 37, 38, 39, 39/199, 40, 144, 162, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177/194 कुल किता-16 रकबा 7.32 हैक्टेयर के सबंध में पेश किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.5.2015 को वादी का वाद स्वीकार किया गया जिससे असन्तुष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 02/अपीलांट ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटीस जारी किये गये एवं उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस की गयी ।

इस न्यायालय में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील विलम्ब से पेश की गयी जिसके लिये प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून मियाद एव 'शपथ पत्र पेश किया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.5.2015 को लोक अदालत में विधिवत जवाब दावा ओर बिना तनकीयात कायम किये एवं बिना साक्ष्य सबूत के बिना गवाहो के बयान लिये निर्णय पारित कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है । अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का अनुरोध किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में साक्ष्य सबम लिये जाकर तनकीयात कायम की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है इस कारण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील निराधार होने से निरस्त योग्य है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादी ने अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगणके विरूद्ध पैतृक कृषि आराजियात के सबंधमें बंटवाडे का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की व उसके पश्याम प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 13.5.2016 को संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरुद्ध

अपीलार्थी प्रतिवादी नं.2 ने इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की है अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी व प्रतिवादीको राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक व हिस्से अनुसार निर्णय व डिक्री पारित की है यदि बंटवाडे के सबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति एवं ऐतराज है तो वह अंतिम निर्णय व डिक्री में कर सकते है अंतिम निर्णव डिक्री पारित किया जाना 'शेष है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ का प्रकरणसंख्या 226/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.5.2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 13.5.2016 एवं 24.7.2018 यथावत रखा जाता है । डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(प्रदीपसिंह सागांवत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 125/2022/डिक्री

लोकेन्द्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी घटियावली, तहसील व जिला चितौडगढ, हाल मुकाम मकान नम्बर सी 20/21, प्रतापनगर, उदयपुर

-अपीलांट

विरुद्ध

1. गजेन्द्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत, निवासी घटियावली, तहसील व जिला चितौडगढ हाल मुकाम मकान नम्बर सी 20/21, प्रतापनगर, उदयपुर
2. राजेन्द्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत , निवासी घटियावली, तहसील व जिला चितौडगढ हाल मुकाम मकान नम्बर सी 20/21, प्रतापनगर, उदयपुर
3. महेद्रसिंह पिता नरेन्द्रसिंह राजपूत , निवासी घटियावली, तहसील व जिला चितौडगढ हाल मुकाम मकान नम्बर सी 20/21, प्रतापनगर, उदयपुर
4. अनिता पुत्री नरेन्द्रसिंह राजपूत, निवासी घटियावली, तहसील व जिला चितौडगढ हाल मुकाम कापरडा हाउस रिषाला रोड पावटा, डी, जोधपुर
5. तहसीलदार चितौडगढ

-रेस्पोडेन्टगण

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ प्रकरण संख्या 226/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 13.05.2016 तथा 24.07.2018 अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितौडगढ की प्रकरण संख्या 226/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 13.05.2016 तथा 24.07.2018 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रुपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ